संख्या- 20/2019/54/35-3-2019-1(34)/2017-टीसी

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर हेतु कम्प्यूटर क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बलरामपुर की निम्नलिखित परियोजना हेतु रू. 68.60 लाख (रू. अड़सठ लाख साठ हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष रू. 41.16 लाख (रू. इक्तालीस लाख सोलह हजार) एवं राज्यांश के सापेक्ष रू; 27.44 लाख (रू. सत्ताईस लाख चवालीस हजार) मात्र अर्थात **कुल रू. 68.60 लाख (रू. अड़सठ लाख साठ हजार) मात्र** की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। क्रय की कार्यवाही का कार्य जैम पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	अवमुक्त की जा रही धनराशि केन्द्रांश 60 प्रतिशत	अवमुक्त की जा रही धनराशि राज्यांश 40 प्रतिशत
		कार्यदायी संस्था-श्रीटान इण्डिया लि0			
पचपेड़वा		आई.टी.आई.विशुनपुरविश्राम में आई0टी0 लैब की आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटर क्रय करने का कार्य संख्या-50 अदद	**68.60**	**41.16**	**27.44**
		कुल योग	**68.60**	**41.16**	**27.44**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा ।

2- स्वीकृत कार्य को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल.उ)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निर्गत निर्देशों के अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय को सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि **उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।**

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

5- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री /उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयवद्व ढंग से पूरा किया जायेगा । इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

7- कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/ बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जाएगें।

8- **िदरावृित से बचने के लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी ।**

9- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण प्रधानाचार्य, राजकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशुनपुर विश्राम, पचपेड़वा, बलरामपुर द्वारा किया जायेगा । साथ ही परियोजनाके पूर्ण होने तथा सृजित परिसंपत्तियों का सम्बन्धित को हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा ।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम् 31 मार्च, 2019 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारी की जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना **सुनिश्चित** किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

14- **स्वीकृत** की जा रही धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में निहित प्राविधानो तथा समय-समय पर वित्त विभाग तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुसार किया जायेगा ।

15- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि कम्प्यूटर क्रय के उपरान्त कोई धनराशि अवशेष है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा ।

16- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा ।

स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत संलग्नक में सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा । उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-06- बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था-46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय हेतु अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-104-खेलकूद-03-खेलकूद प्रतियोगिता/जागरूकता शिविर/कौशलवृद्धि शिविर आदि का आयोजन-42-अन्य व्यय एवं लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था-42-अन्य व्यय से आदेश संख्या-आर.ई-20 /ई-5-843/दस-2018,दिनांक01 जून, 2018 द्वारा पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-74 /दस-2019 दिनांक17 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 20/ 2019/54/35-3-2019-1(34)/2017-टीसी तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।

2- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्टानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।

4- महालेखाकार, प्रथम)लेखा एवं हकदारी(इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं दितीय इलाहाबाद) ।

5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7-संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, बलरामपुर ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 1

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।